खंड 5 अंक 12 जुलाई -2023

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

अध्यक्ष का संदेश

जून 2023 जल संरक्षण, प्रबंधन और बांध सुरक्षा के क्षेत्र में सार्थक व्यस्तताओं और उत्पादक पहलों से भरा महीना रहा है। जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) ने हमारे समर्पित कर्मचारियों के बीच उत्साह की भावना को बढ़ावा देते हुए विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 विशेष रूप से उल्लेखनीय था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को जल संरक्षण में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया। अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पुरस्कार विजेताओं की सराहना की और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान जैसी सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला और भारत की जल चुनौतियों से निपटने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम ने सतत जल उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने में सम्मानित परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस महीने कई प्रभावशाली बैठकें हुईं। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) की दूसरी बैठक, जिसकी मैंने अध्यक्षता की, ने सात नियमों और दो उप-समितियों को मंजूरी दी, जो बांधों की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। 15 जून 2023 को डीआरआईपी, चरण- II और बांध सुरक्षा मामलों की समीक्षा में महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं को संबोधित किया गया, जिसमें निर्दिष्ट बांधों के राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस पर प्रगति और बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जून 2023 में राजस्थान में रिपोर्ट की गई एक बांध घटना मौजूदा चुनौतियों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

22 जून, 2023 को भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी बैठक के साथ हमारा वैश्विक सहयोग प्राथमिकता बना हुआ है, जिसमें चरण- II के तहत डिलिवरेबल्स पर चर्चा की जाएगी और IEWP कार्रवाई के आगामी चरण- III के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में शहरी बाढ़ और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सहित प्रस्तावित कार्य क्षेत्रों के साथ आम समझ के लिए संयुक्त विकास पर जोर दिया गया। इसके अलावा, डेनमार्क दूतावास और डीएचआई, डेनमार्क के अधिकारियों को शामिल करते हुए स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के संबंध में परामर्श 7 जून 2023 को हुआ। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र को वास्तव में प्रभावशाली संस्थान में बदलने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

के.ज.आ ने 19 जून 2023 को 'सतत विकास के लिए नदी घाटियों और जलाशयों में तलछट के एकीकृत प्रबंधन' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने टिकाऊ तलछट प्रबंधन पर मूल्यवान चर्चा में योगदान दिया।

मैं के.ज.आ टीम और सभी हितधारकों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ मिलकर, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करते हुए, जल संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।

विषयसूची

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और डीआरआईपी

- उप समिति के सदस्यों की विश्व बैंक टीम के साथ मसौदा नियमों पर चर्चा
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की दूसरी बैठक
- डीआरआईपी-I का विश्व बैंक कार्यान्वयन सहायता मिशन
- बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों पर स्थिति/प्रगति का आकलन
- डीआरआईपी चरण-II और बांध सुरक्षा मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में मासिक समीक्षा
- उत्तर प्रदेश राज्य में डीआरआईपी चरण-II एवं चरण-III तथा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की समीक्षा
- बांध की घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

- स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए टीओआर पर चर्चा
- पुनात्सांगचू जलविद्युत परियोजना के संबंध में भूटान प्रतिनिधिमंडल के साथ पांचवीं बैठक
- आईईडब्ल्यूपी के चरण-II के तहत डिलिवरेबल्स की स्थिति पर EU प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा, आईईडब्ल्यूपी के आगामी चरण-II के लिए कार्रवाई और कार्यप्रणाली

परियोजना के संबंध में बैठक

- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर
- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना
- सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना
- डीएचआई द्वारा रैटल एचई परियोजना (जम्मू एंड कश्मीर के जलाशय अवसादन के लिए 2डी और 3डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन किया जा रहा है।
- केबीएलपी के दौधन बांध के डिजाइन मुद्दों की समीक्षा

संगोष्ठी/कार्यशाला

- केंद्रीय जल आयोग और एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित एसआईएमपी चरण-॥ मध्यावधि कार्यशाला
- "सतत विकास के लिए नदी घाटियों और जलाशयों में तलछट का एकीकृत प्रबंधन" पर राष्ट्रीय कार्यशाला

दौरा/निरीक्षण

- पोलावरम सिंचाई परियोजना राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश
- डैमरिंग सिंचाई परियोजना (मेघालय) और बुरीसुती सिंचाई परियोजना (असम)
- चोलावरम बांध, तमिलनाडु
- जिग्रो बांध और निचला खजूरी वियर (उत्तर प्रदेश)
- कुंभो बांध, ओडिशा
- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट), डाकपत्थर, उत्तराखंड
- रुकुरा बांध, ओडिशा
- एमएमआई सिंचाई परियोजना की प्रस्तावित पहली जनगणना और झरनों (स्प्रिंग्स) की पहली जनगणना की प्रगति पर चर्चा
- "प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित उप-योजना प्रधानमंत्री सिंचाई क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना (पीएमएसकेएयू)" पर आंतरिक परामर्श बैठक
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुन:अभिमुखीकरण/पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की तीसरी बैठक
- के.ज.आ. (मुख्यालय) में एचएसओ के तहत जल विज्ञान (शहरी) निदेशालय का उद्घाटन
- जलाशय निगरानी
- विश्व पर्यावरण दिवस
- इतिहास- उमियाम जल-विद्युत परियोजना (चरण-1)

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और डीआरआईपी

उप समिति के सदस्यों की विश्व बैंक टीम के साथ मसौदा नियमों पर चर्चा

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 54 के सात मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 02.06.2023 को विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य डी एंड आर, के.ज.आ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए उप-समिति के सदस्य बैठक में उपस्थित थे, जो हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) की दूसरी बैठक

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की दूसरी बैठक 06.06.2023 को के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एनसीडीएस और के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने की। बैठक में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) और एनसीडीएस के अन्य सदस्यों यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और बांध सुरक्षा के विशेषज्ञ श्री डी.के.शर्मा, अध्यक्ष, एचपी विद्युत नियामक आयोग और प्रोफेसर सी.वी.आर.मूर्ति, इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी मद्रास ने भाग लिया। बैठक के दौरान, धारा 54 (2) के तहत तैयार किए गए 7 विनियम और दो उप-समितियों अर्थात संरचनात्मक इंजीनियरिंग

और बांधों की भूकंप सुरक्षा, क्षमता विकास को समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा अन्य एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

डीआरआईपी-I का विश्व बैंक कार्यान्वयन सहायता मिशन

श्री विजय सरन, परियोजना निदेशक, डीआरआईपी और मुख्य अभियंता डीएसओ, के.ज.आ, श्री एस.एस. बख्शी, निदेशक, डीएसआर/सीपीएमयू, उप. निदेशक, डीएसआर और श्री सिद्धांत आज़ाद, उप. निदेशक, श्री सौरभ शरण, उप. निदेशक, डीएसआर, श्री भिसे योगेश नानासाहेब,

डीएसआर ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 7 से 9 जून 2023 तक नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा आयोजित डीआरआईपी-II के विश्व बैंक कार्यान्वयन सहायता मिशन में भाग लिया।

श्री समीर कुमार शुक्ला (निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय), श्री प्रभात कुमार (उप निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय) और श्री योगेश कुमार गुप्ता (सहायक निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय) ने भी भाग लिया। योजना के तहत, लगभग 2519.854 करोड़ रुपये की निविदाएं प्रकाशित की गईं और 1560.72 करोड़ रुपये की राशि के अनुबंध दिए गए। विश्व बैंक द्वारा अब तक वितरित ऋण 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। राज्यों की समग्र प्रगति संतोषजनक रही।

श्री पंकज कुमार, सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और सुश्री देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (आरडी और पीपी) ने समीक्षा मिशन के समापन सत्र में भाग लिया।

बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों पर स्थिति/प्रगति का आकलन

12.05.2023 को आयोजित बैठक के दौरान की गई चर्चा अनुसार बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों पर स्थिति/प्रगति और विभिन्न दूसरे मामले का आकलन करने के लिए 12.06.2023 को श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में 100 से अधिक बांधों वाले ग्यारह राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक (200 से अधिक निर्दिष्ट बांध वाले राज्य) और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश (100 से अधिक निर्दिष्ट बांध वाले राज्य) के एनडीएसए और एसडीएसओ के सदस्यों ने वर्चुअल मोड में भाग लिया। बैठक में एनडीएसए के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य (तकनीकी), सदस्य (विनियम) और सदस्य (आपदा और लचीलापन) भी शामिल हुए। बैठक के दौरान चर्चा किए गए विभिन्न अन्य मुद्दों में निर्दिष्ट बांधों की सूची को अद्यतन करना, निरीक्षण किए गए बांधों का वर्गीकरण, श्रेणी- I और श्रेणी-II बांधों के लिए

निरीक्षण और इन उपचारात्मक कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा के आधार पर की गई उपचारात्मक कार्रवाई, सभी एसडीएसओ द्वारा मूल्यांकन अवधि 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आदि शामिल हैं। एनडीएसए अध्यक्ष ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए श्रेणी-I और II बांधों के लिए बांध मालिकों द्वारा प्रस्तावित उपायों की भी समीक्षा की।

डीआरआईपी चरण-II और बांध सुरक्षा मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में मासिक समीक्षा

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), चरण- II और बांध सुरक्षा मामलों पर एक समीक्षा बैठक 15.06.2023 को सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। मुख्य एजेंडा बिंदुओं में राष्ट्रीय स्तर के डेटा बेस को अपडेट करने की प्रगति, डीआरआईपी के लिए एक इंजीनियरिंग और प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया, आईआईटी रूड़की और आईआईएससी बेंगलुरु के साथ सहयोग सहित बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021के तहत विभिन्न प्रस्तावों और नियमों की स्थिति शामिल है। चर्चा में एनसीडीएस की उप-समितियों का गठन, एनडीएसए के लिए पदों का सृजन और बांध निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाइयों की स्थिति भी शामिल थी। बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल पर भी चर्चा की गई।

" NO MATTER, HOW MUCH RICH YOU ARE, YOU CAN'T LIVE WITHOUT WATER "

उत्तर प्रदेश राज्य में डीआरआईपी चरण-II एवं चरण-III तथा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की समीक्षा

श्री विजय सरन, परियोजना निदेशक, सीपीएमयू-डीआरआईपी और मुख्य अभियंता, डीएसओ और सदस्य (नीति एवं अनुसंधान), एनडीएसए ने उत्तर प्रदेश राज्य में डीआरआईपी चरण- II और चरण- III और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की समीक्षा पर 28.06.2023 को लखनऊ में एक बैठक की अध्यक्षता की। श्री प्रभात कुमार, उप-निदेशक, एफई एंड एसए, के.ज.आ और श्री अंकित कुमार, उप-निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय भी बैठक में शामिल हुए।

मुख्य अभियंता, एसपीएमयू, यूपी और परियोजना निदेशक, एसपीएमयू, यूपी के साथ परियोजना निदेशक, सीपीएमयू-डीआरआईपी ने भी 28.06.2023 को प्रधान सचिव, यूपी आई एंड डब्ल्यूआरडी से मुलाकात की और डीआरआईपी चरण- II और चरण- III और बांध सुरक्षा

अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की सुविधा के संबंध में विस्तृत चर्चा की व उत्तर प्रदेश राज्य तथा यूपी में सभी श्रेणी I और श्रेणी II बांधों की समीक्षा की।

बांध घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई बांध घटना/विफलता पर द्वि-साप्ताहिक स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित की जा रही है और जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। जून, 2023 के महीने में, कार्यालय निदेशक (एम एंड ए), यमुना बेसिन संगठन (वाईबीओ), सीडब्ल्यूसी, जयपुर ने राजस्थान के जालोर जिले में सुरावा बांध और पांचला बांध के क्षतिग्रस्त होने/टूटने की सूचना दी। जोकि 16-17, जून 2023 के दौरान बिपरजॉय चक्रवात से हुयी भारी वर्षा के कारण हुआ था।

★★★★★★

विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए टीओआर पर चर्चा

07.06.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए मसौदा प्रारूप पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नई दिल्ली स्थित डेनमार्क दूतावास और डीएचआई, डेनमार्क के अधिकारियों और के.ज.आ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान डेनमार्क की ओर से टीओआर और इसके तहत गतिविधियों को तैयार करने पर जोर दिया गया, जो प्रस्तावित सीओई (मॉडलिंग सेंटर) को एक पायलट अध्ययन उन्मुख केंद्र बनाने के बजाय वास्तव में उत्कृष्टता केंद्र बना देगा। डेनमार्क पक्ष ने के.ज.आ के विचारों को नोट किया और डेनमार्क पक्ष ने के.ज.आ के विचारों को नोट किया और के.ज.आ की आवश्यकताओं/ अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में, उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए डेनमार्क पक्ष को 19.07.2023 को एक अनुस्मारक ई-मेल भेजा गया है। डेनमार्क की ओर से आगे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

पुनात्सांगचू जलविद्युत परियोजना के संबंध में भूटान प्रतिनिधिमंडल के साथ पांचवीं बैठक

पुनातसांगचू-I परियोजना के लिए आठ सदस्यीय अंतर सरकारी समूह (आईजीजी) की पांचवीं बैठक 8 से 9 जून 2023 तक शांगरी-ला इरोस, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार द्वारा गठित आठ सदस्यीय अंतर सरकारी समूह के अध्यक्ष ने 8 जून 2023 को के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की। श्री संजय कुमार सिब्बल सदस्य (डी एंड आर), विदेश मंत्रालय/भूटान दूतावास और भारतीय दूतावास के अधिकारी भी उपस्थित थे। बांध डिजाइन, बैराज डिजाइन, बांध और बैराज विकल्पों पर आने वाले लागत की तुलना पर चर्चा के साथ-साथ आईजीजी द्वारा

सिफारिश और आगे बढ़ने के तरीके पर दोनों सरकारों से चर्चा की गई।

आईईडब्ल्यूपी के चरण-II के तहत डिलिवरेबल्स की स्थिति पर EU प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा, आईईडब्ल्यूपी के आगामी चरण-II के लिए कार्रवाई और कार्यप्रणाली

आईईडब्ल्यूपी के चरण-II के तहत डिलिवरेबल्स की स्थिति और आईईडब्ल्यूपी के आगामी चरण-III के लिए कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए भारत-ईयू जल साझेदारी की बैठक 22.06.2023 को के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ के अधिकारी, यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिनिधिमंडल और जीआईजेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में आईईडब्ल्यूपी कार्रवाई के चरण-III के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के संबंध में चर्चा की गई और कहा गया कि, इसे भागीदारों के बीच आम समझ के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया जाना चाहिए। के.ज.आ द्वारा दो कार्य क्षेत्रों अर्थात् (i) शहरी बाढ़ और (ii) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। अध्यक्ष, के.ज.आ ने बेहतर और निरंतर सीखने कीसंभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों की स्थिति-क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

आईईडब्ल्यूपी कार्रवाई के चरण- II पर भी चर्चा की गई। यह अवगत कराया गया कि तापी नदी बेसिन के लिए नदी बेसिन प्रबंधन योजना चरण- II एक प्रदेय के रूप में उपलब्ध होगी।

★★★★★★

परियोजना के संबंध में बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना

माननीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 01.06.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य (डी एंड आर) श्री संजय कुमार सिब्बल ने भाग लिया। बैठक में पोलावरम सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। जिन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें एलआईडीएआर सर्वेक्षण के कारण चरण-I के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पीडीएफ, चरण-I के संतुलन कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित लागत अनुमान, शेष सिविल कार्यों के लिए कार्य योजना, अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपाय, अपक्षय उपचार और स्वास्थ्य मूल्यांकन शामिल थे जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सीमा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जलमग्न क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की स्थिति भी शामिल थी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 05.06.2023 को एक अन्य बैठक में सदस्य (डी एंड आर) श्री संजय कुमार सिब्बल ने भाग लिया। के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने डब्ल्यूआरडी, जीओएपी, के.ज.आ, मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस, सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस और परियोजना डिजाइन सलाहकारों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

किशनगंगा जलविद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा द्वारा 03.06.2023 को हाइब्रिड मोड पर किशनगंगा और रतले एचईपी के तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष मामले से संबंधित सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) मामलों के तकनीकी विशेषज्ञ श्री जी.आर.बैसन के साथ एक बैठक की गई। बैठक में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), श्री विवेक त्रिपाठी, सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री अशोक कुमार खरया, सीई, ईएमओ, श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (एस) श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू), श्रीमती एम.एस.हर्षिता और श्री राजीव कुमार टैंक, उप निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू)। बैठक में एनएचपीसी के अधिकारी भी उपस्थित थे। रैटल एचईपी के जलाशय अवसादन के लिए 2डी/3डी संख्यात्मक मॉडलिंग से संबंधित अध्ययनों पर चर्चा की गई।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

दिनांक 08.06.2023 को केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में के.ज.आ., यूजेवीएनएल, सीएसएमआरएस और एनआईआरएम के अधिकारियों के बीच लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना, उत्तराखंड पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में, एनआईआरएम द्वारा किए जा रहे 3डी संख्यात्मक मॉडल अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों और लखवार एमएमपी, उत्तराखंड के पावर हाउस परिसर के डिजाइन पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई।

सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना

सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना की समीक्षा के लिए 23.06.2023 को के.ज.आ., नई दिल्ली में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया। बैठक के.ज.आ., सीएसएमआरएस, एचएसएचडीबी और आईएंडडब्ल्यूआरडी, हरियाणा के अधिकारियों के बीच बुलाई गई थी। बैठक के दौरान, सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए आवश्यक आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में, हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड (एचएसएचडीबी) ने सोंब नदी के पानी को स्थानांतरित करके सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित घटकों वाली एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिया है: -

• हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में सोम्ब नदी पर आदि बद्री बांध। (भंडारण 2 एमसीएम)
• सोम्ब नदी पर आदि बद्री बांध से लगभग 2.5 किमी डी/सेकेंड पर सोम्ब सरस्वती बैराज। (भंडारण 0.45 एमसीएम)

• सोम्ब नदी से सरस्वती जलाशय तक पानी स्थानांतरित करने के लिए लगभग 7.5 किमी की भूमिगत परिवहन पाइपलाइन।

• बैराज से लगभग 7.5 किमी दूर पंचायत भूमि पर सरस्वती जलाशय, परिवर्तित जल को संग्रहित करने के लिए (भंडारण 15 एमसीएम)

विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और परियोजना की योजना और डिजाइन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमच और सीएसएमआरएस के निदेशक डॉ. आर.चित्रा ने भी भाग लिया।

डीएचआई द्वारा रैटल एचई परियोजना (जम्मू एंड कश्मीर के जलाशय अवसादन के लिए 2डी और 3डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन किया जा रहा है।

परामर्शदात्री निगरानी समिति/ कंसल्टेंसी मॉनिटरिंग कमेटी (सीएमसी) की तीसरी बैठक 27.06.2023 को श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, यह बैठक रैटल एचई परियोजना (जम्मू-कश्मीर) के जलाशय अवसादन के लिए चल रहे 2डी और 3डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन के संबंध में डीएचआई से प्राप्त रिपोर्ट और प्रोफेसर जी.आर.बैसन, आईडब्ल्यूटी मामलों के तकनीकी विशेषज्ञ से प्राप्त किशनगाना एचईपी की अध्ययन रिपोर्ट पर भी चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

केबीएलपी के दौधन बांध के डिजाइन मुद्दों की समीक्षा

सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), मध्य प्रदेश के दौधन बांध के डिजाइन मुद्दों पर चर्चा के लिए 30.06.2023 को, एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) के.ज.आ. तथा केंद्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए एवं एनएचपीसी सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सचिव को अवगत कराया गया कि दौधन बांध के मसौदा निविदा दस्तावेज को केबीएलपीए के तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के क्रम से काम शुरू करने का प्रस्ताव है। आगे यह बताया गया कि टीएजी ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राय दी कि वर्ष 2007 के दौधन बांध के वर्तमान अभिन्यास में बाएं किनारे पर एक स्पिलवे है जिसमें डायवर्जन चैनल बनाने के लिए भारी मात्रा में कार्य सामग्री की खुदाई की आवश्यकता होगी और अन्य कार्यों और उत्खनन सामग्री को पीटीआर के बाहर निपटाने की आवश्यकता होगी। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है और किफायती भी नहीं होगी।

परियोजना के संबंध में बैठक

बैठक के दौरान, श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने बांध की एक वैकल्पिक अभिन्यास योजना प्रस्तुत की, जिसमें स्पिलवे को केंद्र (नदी क्षेत्र) में रखा गया और नदी में बाढ़ और गाद प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीक के अनुसार निम्न स्तर के छिद्र स्पिलवे को भी अपनाया गया। एक केंद्रीय स्पिलवे से, निर्माण अवधि के दौरान डायवर्जन की व्यवस्था नदी के मध्य भाग में ही की जा सकती है। इससे उत्खनन में उल्लेखनीय कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण में तेजी आएगी और गेट के आकार को कम करने के अलावा, बांध की उम्र लंबी बढ़ाने के लिए तलछट निस्तब्धता का लाभ भी मिलेगा।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि के.ज.आ. द्वारा प्रस्तावित निम्न-स्तरीय छिद्रित स्पिलवे के साथ नदी के मध्य भाग में एक स्पिलवे की अभिन्यास योजना को अपनाया जा सकता है।

★★★★★★

संगोष्ठी/कार्यशाला

केंद्रीय जल आयोग और एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित एसआईएमपी चरण-II मध्यावधि कार्यशाला

के.ज.आ. और एडीबी द्वारा सिंचाई आधुनिकीकरण सहायता कार्यक्रम (एसआईएमपी–II) के लिए 09.06.2023 को, नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में एक मध्यावधि कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के डब्ल्यूआरडी अधिकारियों तथा जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत के.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन एसएईआर निदेशक सुश्री मियो ओका और मुख्य अभियंता श्री पी. दोरजे ग्याम्बा, पीओएमआईओ, के.ज.आ. द्वारा किया गया। मुख्य अभियंता ग्याम्बा ने जल शक्ति मंत्रालय के विजन@2047 के अनुरूप जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) को बढ़ाने के लिए वृहत और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला के दौरान, चर्चा में चयनित परियोजनाओं के लिए सिंचाई आधुनिकीकरण योजना (आईएमपी) की स्थिति शामिल थी, जिसमें हरियाणा में लोहारू परियोजना का विशेष उल्लेख था। एडीबी की सुश्री मियो ओका ने जलवायु लचीलापन, कृषि विकास, ग्रामीण सड़कों और बाजार को जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसआईएमपी को एक प्रमुख पहल के रूप में

रेखांकित किया। श्री लांस गोर, एडीबी के प्रधान जल संसाधन विशेषज्ञ ने परियोजना की तैयारी के लिए समर्थन पर जोर देते हुए भारत में जल प्रबंधन आधुनिकीकरण में एडीबी के निवेश पर चर्चा की।

मुख्य प्रस्तुतियों में आधुनिकीकरण पर एक राष्ट्रीय रणनीति, लोहारू आईएमपी, जल उपयोग दक्षता पर एक मसौदा प्रोटोकॉल और जल उत्पादकता में सुधार के लिए विभिन्न दृष्टिकोण जैसे विषयों को शामिल किया गया, जो भारत में स्थायी जल प्रबंधन प्राप्त करने की दिशा में हितधारकों के व्यापक प्रयासों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

"सतत विकास के लिए नदी घाटियों और जलाशयों में तलछट का एकीकृत प्रबंधन" पर राष्ट्रीय कार्यशाला

के.ज.आ. ने 19.06.2023 को नई दिल्ली में 'सतत विकास के लिए नदी बेसिन और जलाशयों में तलछट के एकीकृत प्रबंधन' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागने सुश्री देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. की उपस्थिति में किया।तकनीकी सत्र की अध्यक्षता के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डी एंड आर) श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) श्री नवीन कुमार और सदस्य (आरएम) श्री पी. मनरोई स्कॉट ने की। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, शैक्षणिक संस्थानों और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की कार्यान्वयन एजेंसियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

के.ज.आ. के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि बांध/जलाशय का लंबे समय तक सेवा योग्य जीवन जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश बांध धीरे-धीरे भर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सकल भंडारण का औसत नुकसान लगभग 0.45% प्रति वर्ष है, और सजीव एवं निष्क्रिय भंडारण का नुकसान क्रमशः लगभग 0.3% और 0.95% प्रति वर्ष है। उन्होंने उल्लेख किया कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में "तलछट प्रबंधन पर राष्ट्रीय ढांचा" भी तैयार किया है जो न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभावों के साथ व्यवस्थित और समग्र योजना पर जोर देता है। वर्तमान में, केंद्रीय

जल आयोग 407 स्थलों पर तलछट डेटा एकत्र कर रहा है। उन्होंने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के तहत किए जा रहे तलछट प्रबंधन कार्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा तलछट प्रबंधन पर राष्ट्रीय रूपरेखा, तलछट मूल्यांकन अध्ययन, नदी रूपात्मक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए भू-आकृति विज्ञान उपकरणों के अनुप्रयोग, तलछट भार के बेसिन पैमाने के आकलन के लिए मॉडलिंग उपकरण आदि विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं। कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हस्तक्षेप के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए।

★★★★★★

दौरा/निरीक्षण

पोलावरम सिंचाई परियोजना राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश

राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी (सर आर्थर कॉटन बैराज से लगभग 42 किमी ऊपर) पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन के साथ-साथ सिंचाई, घरेलू उद्देश्यों, उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

03.06.2023 को परियोजना के स्पिलवे के बाईं ओर अपस्ट्रीम पर निर्मित कट ऑफ दीवार और गाइड बंड में आंशिक क्षति देखी गई। इस संदर्भ में, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या. पी-30028/1/2021-ओ/ओ एसजेसी (एसपीआर-आई)-एमओडब्ल्यूआर, दिनांक 07.06.2023 द्वारा ए.बी.पांड्या, महासचिव-आईसीआईडी की अध्यक्षता में तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया।

समिति के सदस्यों में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, एमओजेएस, श्री शिवनंदन कुमार, सीईओ, पीपीए और डॉ (श्रीमती) आर.चित्रा, निदेशक, सीएसएमआरएस शामिल हैं। समिति ने डब्ल्यूआरडी, पीपीए, डब्ल्यूएपीसीओएस और एमईआईएल के अधिकारियों के साथ 15.06.2023 की दोपहर में परियोजना स्थल का दौरा किया और उसी दिन दोपहर में सभी संबंधित लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गई।

डैमरिंग सिंचाई परियोजना (मेघालय) और बुरीसुती सिंचाई परियोजना (असम)

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की आईडब्ल्यूआरडी योजना के तहत डैमरिंग सिंचाई परियोजना (मेघालय) तथा बुरीसुती सिंचाई परियोजना (असम) के सर्वेक्षण व जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी का काम क्रमशः एनईआईडी-I और एनईआईडी-III को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं के लिए के.ज.आ. डिजाइनरों, के.ज.आ. फील्ड अधिकारियों, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों आदि का एक संयुक्त क्षेत्रीय दौरा 19 से 24 जून 2023 तक किया गया।

के.ज.आ.डिज़ाइन टीम जिसमें श्री एस.के. शर्मा, निदेशक, बीसीडी (ई एंड एनई), श्री आशुतोष आनंद, उप निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एनई) और

श्री सागर रावत, सहायक निदेशक, जल विज्ञान (एनई) शामिल हैं ने डैमरिंग सिंचाई परियोजना (मेघालय) और बुरीसुती सिंचाई परियोजना (असम) के प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

चोलावरम बांध, तमिलनाडु

श्रीथंगमणि, क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र एनडीएसए, चेन्नई के नेतृत्व में श्री भिसे योगेश नानासाहेब, उपनिदेशक, डीएसआर निदेशालय ने के.ज.आ. और सीएसएमआरएस के अधिकारियों की टीम के साथ श्रेणी-I- चोलावरम बांध, तमिलनाडु का दौरा किया और 24 जून-2023 को चोलावरम बांध, तमिलनाडु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डब्ल्यूआरडी, तमिलनाडु के अधिकारियों की एक टीम ने भी भाग लिया।

जिग्रो बांध और निचला खजूरी वियर (उत्तर प्रदेश)

श्री सोमेश कुमार, निदेशक, तटबंध (एन एंड डब्ल्यू) डीटीई ने उत्तर प्रदेश राज्य में श्रेणी-एल के 02 बांधों, यानी जिग्रो बांध और लोअर खजूरी वियर (उत्तर मॉनसून-2022 और पूर्व मॉनसून-2023 निरीक्षण के अनुसार) का 26 जून से 28 जून 2023 तक एनडीएसए (मुख्यालय) कार्यालय आदेश संख्या एमआई/35/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1) दिनांक 21.06.2023 के माध्यम से दौरा किया है और पत्र संख्या एनडीएसए/एनआर/2022/650-656 दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

कुंभो बांध, ओडिशा

श्री संजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक ई एंड एनई क्षेत्र एनडीएसए, गुवाहाटी के नेतृत्व में श्री सिद्धांत आजाद, उपनिदेशक, डीएसआर निदेशालय ने के.ज.आ. और सीएसएमआरएस के अधिकारियों की टीम के साथ श्रेणी-I-कुंभो बांध, ओडिशा का दौरा किया, और 28 जून 2023 को कुंभो बांध, जिला बारगढ़, ओडिशा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डब्ल्यूआरडी, ओडिशा के अधिकारियों की एक टीम ने भी भाग लिया।

उत्तर-मानसून (2022-23) और पूर्व-मानसून (2023)निरीक्षणों के आधार पर, ओडिशा राज्य बांध सुरक्षा संगठन ने कुंभो बांध को श्रेणी-1 बांध के रूप में वर्गीकृत किया है जिसका अर्थ है "कमियाँ जो विफलता का कारण बन सकती हैं"। बांध के निरीक्षण के बाद टीम ने निरीक्षण रिपोर्ट चेयरमैन एनडीएसए को सौंप दी।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट), डाकपत्थर, उत्तराखंड

जीएम, लखवार एमपीपी, यूजेवीएनएल के अनुरोध पर 27.06.2023 को यंत्रीकरण निदेशालय, के.ज.आ., सीएसएमआरएस और यूजेवीएनएल के अधिकारियों द्वारा लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का संयुक्त निरीक्षण दौरा किया गया। के.ज.आ. के निदेशक (यंत्रीकरण) और उपनिदेशक (यंत्रीकरण) ने परियोजना स्थल का दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के पश्चात दिनांक 28.06.2023 को डाकपत्थर कार्यालय में पावर हाउस के यंत्रीकरण एवं परियोजना से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

रुकुरा बांध, ओडिशा

श्री सिद्धांत आज़ाद, उप. निदेशक, डीएसआर डीटीई ने के.ज.आ. और सीएसएमआरएस के अधिकारियों की टीम के साथ श्रेणी- I-रुकुरा बांध, ओडिशा का दौरा किया, जिसका नेतृत्व श्री संजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक ई एंड एनई क्षेत्र एनडीएसए, गुवाहाटी ने किया और 29 जून-2023 बोनाई शहर, ओडिशा के पास रुकुरा बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डब्ल्यूआरडी, ओडिशा के अधिकारियों की एक टीम भी शामिल हुई। उत्तर-मानसून (2022-23) और पूर्व-मानसून (2023) निरीक्षणों के आधार पर, ओडिशा राज्य बांध सुरक्षा संगठन ने रुकुरा बांध को श्रेणी-1

बांध के रूप में वर्गीकृत किया है जिसका अर्थ है "कमियां जो विफलता का कारण बन सकती हैं"। बांध के निरीक्षण के बाद टीम ने निरीक्षण रिपोर्ट चेयरमैन एनडीएसए को सौंप दी है।

★★★★★★

प्रशिक्षण

(ओपनएलआईएसईएम और डेल्फ़्ट 3डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर) मॉडल का अद्यतनीकरण - सिद्धांत और व्यावहारिक और रूपात्मक विश्लेषण पर संशोधन

जल विज्ञान (सी) निदेशालय, के.ज.आ. ने 20 सीडब्ल्यूसी अधिकारियों के लिए सात (7) नदी बेसिन में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग परियोजना के तहत रूपात्मक विश्लेषण पर सिद्धांत एवं व्यावहारिक तथा पुनरीक्षण"-मॉडल (ओपनएलआईएसईएम और डेल्फ़्ट 3डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर)- को अद्यतन करने" हेतु 14.06.2023 से 20.06.2023 तक एक प्रशिक्षण का आयोजन किया।

★★★★★★

एमएमआई सिंचाई परियोजना की प्रस्तावित पहली जनगणना और झरनों (स्प्रिंग्स) की पहली जनगणना की प्रगति पर चर्चा

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 09.06.2023 को एक बैठक में वृहत एवं मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं और स्प्रिंग्स की पहली जनगणना की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य डब्ल्यूपीएंडपी, मुख्य अभियंता पीएमओ और निदेशक पीएंडपी सहित के.ज.आ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सचिव ने सीडब्ल्यूसी द्वारा 7वीं एमआई और दूसरी जल निकाय जनगणना के अनुरूप जनगणना सामग्री और एक सारणीकरण योजना शीघ्र तैयार करने का आग्रह किया। एनआईएच अधिकारियों ने वसंत जनगणना के लिए अंतिम कार्यक्रम, अवधारणाएं और ईश्वर ऐप प्रस्तुत किया, सचिव ने भविष्य में परिनियोजन के लिए एनआईसी की जांच की सिफारिश की।

सचिव की अध्यक्षता में 23.06.2023 को एक और बैठक में 7वीं एमआई जनगणना, दूसरी जल निकाय जनगणना और एमएमआई परियोजनाओं और स्प्रिंग्स की पहली जनगणना पर चर्चा हुई। के.ज.आ. ने संशोधित कार्यक्रम और सारणीकरण योजनाएं प्रस्तुत कीं। सचिव ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ तत्काल साझा करने, लागत अनुमान के लिए एनआईसी को औपचारिक पत्र और विभाग नामांकन के लिए राज्य सरकारों को पत्र भेजने का आग्रह किया। के.ज.आ., एनआईएच और एनआईसी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। सचिव ने अगस्त 2023 में जनगणना शुरू करने का प्रस्ताव रखा और एमआई (स्टेट), के.ज.आ. और एनआईएच के बीच एक समझौता ज्ञापन का सुझाव दिया। विभिन्न जनगणनाओं के लिए एमआई (स्टेट) द्वारा निर्धारित प्रकाशन समय-सीमा का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक पूरा करना है, जिसमें शीघ्र रिलीज के लिए संभावित संशोधनों का आह्वान किया गया है।

"प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित उप-योजना प्रधानमंत्री सिंचाई क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना (पीएमएसकेएयू)" पर आंतरिक परामर्श बैठक

जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागपहले से ही स्वीकृत पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएमएस योजना के एक उप घटक के रूप में कमांड एरिया विकास कार्यों (प्रधानमंत्री सिंचाई क्षेत्र आधुनिकीकरण उपाय) के आधुनिकीकरण के लिए एक उप योजना पर विचार कर रहे हैं। उपयोजना को पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम की संभावित बचत से संचालित करने का प्रस्ताव है। यह उप योजना भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क के साथ स्थापित स्रोत से फार्म गेट तक 1 हेक्टेयर तक आपूर्ति नेटवर्क के आधुनिकीकरण और वॉल्यूमेट्रिक माप के लिए आईओटी/स्काडा जैसी स्थापित संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग-जैसे बुनियादी ढांचे की जियोटैगिंग और जीआईएस कमांड क्षेत्र मानचित्रण, ऐप आधारित नियंत्रण, एमआईएस पोर्टल, नॉलेज टूल किट के व्यापक उपयोग की परिकल्पना गई है। प्रस्तावित स्वामित्व और नियंत्रण जल उपयोगकर्ता सोसायटी के माध्यम से होगा। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग ने कॉन्सेप्ट पेपर पर निम्नलिखित सुझाव/टिप्पणियां पेश की हैं। मुख्य सुझाव/ टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

- मुख्य मात्रात्मक परिणाम के रूप में यह देखा किया गया कि 4.25 लाख हेक्टेयर के कमान क्षेत्र में समग्र जल उ[पयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) को 20% तक बढ़ाने से 0.9 बीसीएम तक की अनुमानित बचत होगी। आगे उल्लेख किया गया है कि 0.9बीसीएम पानी का उपयोग आसानी से कमांड के विस्तार, आसपास के शहरों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए प्रवाह बढ़ाने या नदियों में प्रवाह वापस लाने के लिए किया जा सकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इन मापदंडों को विशेष रूप से मात्रात्मक तरीके से दर्शाया जाना चाहिए।

- कुछ गलत धारणाओं के कारण धान की खेती करने वालों के बीच सूक्ष्म सिंचाई लोकप्रिय नहीं है इसके लाभ पर विशेषज्ञों की राय किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित की जा सकती है। सफलताकी कहानी विकसित करने के लिए धान उगाए जाने वाले क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक पायलट परियोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- रामथल लिफ्ट सिंचाई परियोजना (कर्नाटक)" और "नर्मदा नहर परियोजना (राजस्थान)" में लागू किए गए सूक्ष्म सिंचाई का सफल मॉडल इसके अच्छे उदाहरण हैं। अवधारणा पत्र में सूक्ष्म सिंचाई के अलावा IoT और SCADA नियंत्रण का भी उपयोग प्रस्तावित है। ऐसी सफलता की कहानियों और संबंधित अध्ययनों को उचित संदर्भ के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों, हितधारकों और किसानों के बीच व्यापक रूप से साझा और प्रसारित किया जा सकता है ताकि उन्हें सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए बेहतर ढंग से आश्वस्त और प्रेरित किया जा सके।

- स्थिरता के लिए प्रमुख मापदंडों के अनुसार, सफल जल उपयोगकर्ता सोसायटी (WUS) किसान उत्पादक कंपनियां (FPCs) बना सकता है। इसके अलावा यह कहा गया है कि विक्रेता पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे 30 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे जल उपयोगकर्ता सोसायटी (WUS) से संपर्क करेंगे। इसके लिए संस्थागत कानूनी ढांचे की भी आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय और कृषि और एफडब्ल्यू मंत्रालय के विचार भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

मोटे तौर पर, यह महसूस किया गया कि उप-योजना के पीछे का विचार आकर्षक है, क्योंकि इससे पानी की बचत होगी और सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुन:अभिमुखीकरण/पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की तीसरी बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम के पुन:अभिमुखीकरण के लिए कार्यसमूह की तीसरी बैठक 13 जून, 2023 को सदस्य (डब्ल्यूपी&पी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।कार्य समूह को सौंपे गए दूसरे एजेंडे की विषय–वस्तु स्रोत स्थिरीकरण के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना के तहत वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के साथ पेयजल का एकीकरण है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि जल जीवन मिशन में सतही जल महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्थायी स्रोत स्थिरीकरण के लिए पेयजल घटकों के साथ एआईबीपी परियोजनाओं का अभिसरण आवश्यक है। इसके अलावा, ईआरएम परियोजनाओं के तहत, बचाए गए पानी का एक हिस्सा जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी के लिए भी आवंटित किया जा सकता है। जल संसाधन परियोजनाओं के तहत पेयजल घटक के लाभ लागत अनुपात (बीसीआर) पर भी चर्चा की गई। शहरी जल आपूर्ति के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/पीएचईडी/स्थानीय नगर पालिकाओं द्वारा अधिसूचित थोक आपूर्ति दरों के अनुसार लाभ लिया जा रहा है। हालाँकि, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए ऐसे लाभों को बीसीआर की गणना के दौरान शामिल नहीं किया जाता है। यह सुझाव दिया गया कि जहां भी जल शुल्क अधिसूचित किया जाता है, वहां बीसीआर की गणना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जा सकती है। हालाँकि, उन क्षेत्रों में जहां जल शुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है, सिंचाई घटक हेतु बीसीआर को दृढ़ करने के लिए जल आपूर्ति घटक की लागत को परियोजना लागत से घटाया जा सकता है।

के.ज.आ. (मुख्यालय) में एचएसओ के तहत जल विज्ञान (शहरी) निदेशालय का उद्घाटन

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव, भारत सरकार ने 9 जून 2023 को के.ज.आ. (मुख्यालय) में एचएसओ के तहत जल विज्ञान (शहरी) निदेशालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में श्री मनोज तिवारी, सीई (एचएसओ) के साथ के.ज.आ. (मुख्यालय) के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। के.ज.आ.ने निम्नलिखित तरीके से एक नई पहल के रूप में शहरी जल विज्ञान अध्ययन/परामर्श कार्य शुरू किया है:-

• शहरी क्षेत्रों में उच्च तीव्रता वाली वर्षा, नदी की बाढ़, जल निकासी और परस्पर संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए जल विज्ञान मॉडलिंग करना।

• वर्तमान संकट को कम करने के लिए जल विज्ञान से संबंधित इनपुट, आपातकालीन उपायों की योजना और शहरी जल विज्ञान से संबंधित शहरी विकास योजना के लिए इनपुट प्रदान करना। उद्घाटन

समारोह के बाद सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की जल विज्ञान अध्ययन संगठन (एचएसओ) के कर्मचारियों के साथ बातचीत हुई। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने शहरी जल विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उन्हें उनके नए कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया।

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 146 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। 146 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.185 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.11% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.06.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 47.95 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 27% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 49.022 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 43.487 बीसीएम था।

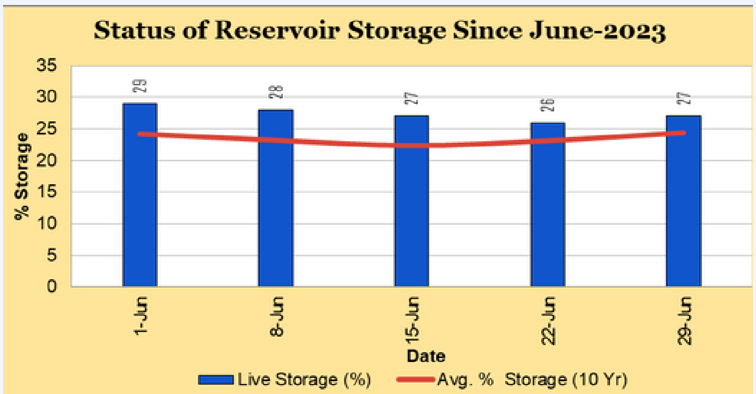

इस प्रकार, 30.06.2023 बुलेटिन के अनुसार 146 जलाशयों में उपलब्ध भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के भंडारण का 98% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 110% है।

30.06.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2023-24)	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	15.0796	9.30%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	1.209	0.60%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	1.8662	9.19%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	0.00	0.00%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58	0.6386	2.00%

देश में बाढ़ की स्थिति- जून 2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 30 जून 2023 की अवधि के दौरान, कुल 460 (422 स्तर+38 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 439 (401 स्तर+38 प्रवाह) पूर्वानुमान 95.43% प्रतिशत सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जून माह में 50 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 46 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किया गया था।

01.05.2023 से 30.06.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति

किसी भी बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं देखी।

तीन बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थित

असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में 14 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

दो निगरानी केंद्रों ने असम और बिहार में गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 22 एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा–रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

4 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्रवाह प्राप्त हुआ।

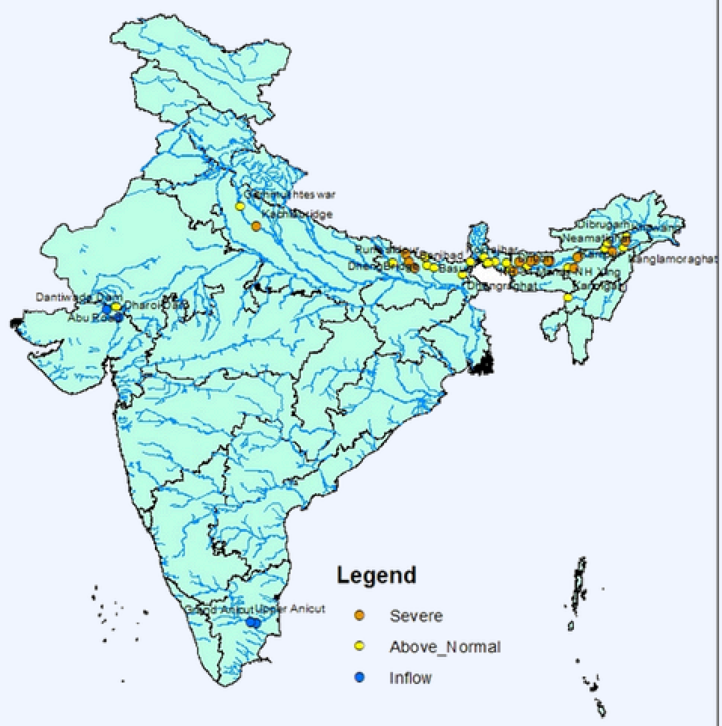

जल क्षेत्र-समाचार

- तमिलनाडू पार्टियों ने मेकेदातु परियोजना में तेजी लाने की डीकेएस योजना पर आपत्ति जताई (डेक्कन क्रॉनिकल, 01.06.2023)
- बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा- आपदा-चेतावनी सॉफ्टवेयर विकसित करें: शाह (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 03.06.2023)
- भरूच जिले में बाढ़, औद्योगिक आपदाओं से निपटने में मदद के लिए एआई-आधारित परियोजना (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 07.06.2023)
- चक्रवात बिपरजॉय तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया; आर्द्र मानसून (मिलेनियम पोस्ट, 08.06.2023)
- अगर जल जीवन मिशन (जेजेएम) लक्ष्य पूरा कर ले तो भारत 400 हजार मौतों से बच सकता है: डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट (हिंदुस्तान टाइम्स, 10.06.2023)
- आंध्र प्रदेश में पानी की कमी से जूझ रही रायलसीमा को एक और झटका (द हिंदू, 13.06.2023)
- असम, मेघालय में भूस्खलन, बाढ़ से 3 की मौत (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 18.06.2023)
- एनटीपीसी बरौनी ने जल संरक्षण के लिए पुरस्कार जीता (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 20.06.2023)
- केंद्रीय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा 1% से कम जल निकायों की निगरानी की जाती है (डेक्कन हेराल्ड, 22.06.2023)
- डब्ल्यूआरडी ने कोसस्थलैयार और अरनियार नदियों को जोड़ने के लिए अध्ययन करने की योजना बनाई है (द हिंदू, 24.06.2023)
- हर घर में नल का पानी पहुंचाने वाला महोबा यूपी का पहला जिला होगा (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 27.06.2023)

विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून, 2023 को सीडब्ल्यूसी का विश्व पर्यावरण दिवस समारोह एक आनंद-उल्लास का दिन था, जो राष्ट्रव्यापी और जमीनी स्तर तक पहुंचा। गतिविधियों में प्रतिज्ञा समारोह, अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा के नेतृत्व में वृक्षारोपण और सार्वजनिक भागीदारी के लिए नुक्कड़ नाटक शामिल थे। वृक्षारोपण अभियान द्वारा पर्यावरण कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कार्बन पृथक्करण और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिला। नुक्कड़ नाटक ने जल संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं पर संदेश दिया, जो विविध दर्शकों को पसंद आया।

अध्यक्ष कुश्विंदर वोहरा ने टिकाऊ प्रथाओं पर जोर दिया, और दिन के समापन पर एक कपड़ा दान अभियान चलाया गया, जिससे "द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन" को लाभ हुआ। सीडब्ल्यूसी के समग्र दृष्टिकोण ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जिससे हरित, स्वस्थ भविष्य के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बढ़ावा मिला।

जल चक्र

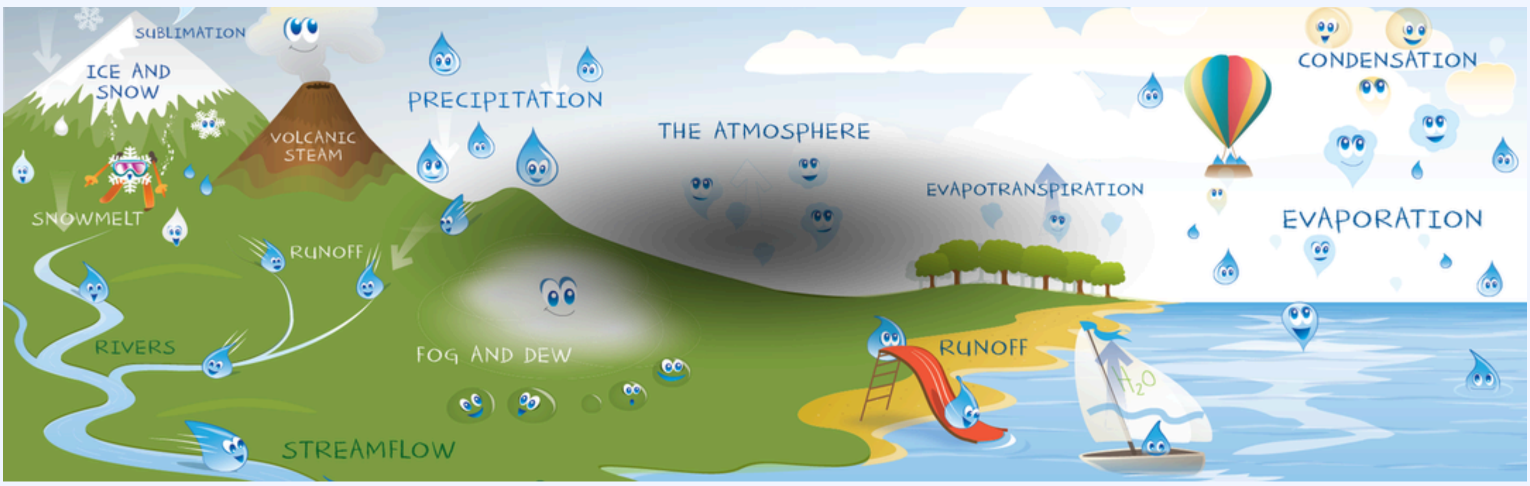

गैलरी

पंचनद सिंचाई परियोजना के निर्माण सामग्री सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच के लिए सीडब्ल्यूसी और सीएसएमआरएस के बीच आज एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

21.06.2023 से 24.06.2023 तक सीडब्ल्यूसी, जीएसआई, सीईए, एनएचपीसी, विद्युत विकास निगम, लद्दाख, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण लद्दाख के अधिकारियों की द्रास-सुरू लिंक परियोजना और लद्दाख के जिला कारगिल में करकित एचई परियोजना के प्रस्तावित जांच स्थल की संयुक्त यात्रा।

नर्मदा बेसिन संगठन, के.ज.आ, भोपाल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम मंडी, नसरुल्लागंज में दिनांक 21-06-2023 को " सतही लघु सिंचाई योजना के लाभ " विषय पर संगोष्ठी एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया

अंतर-राज्जीय प्री-मानसून बैठक "Flood Management & Preparedness for Monsoon 2023 for Narmada Basin" का आयोजन नर्मदा बेसिन संगठन , के.ज.आ., भोपाल में दिनांक 06.06.2023 को किया गया

इतिहास- उमियाम जल-विद्युत परियोजना (चरण-1)

भारत के उत्तर-पूर्व में हिमालय की तलहटी में स्थित असम एक अत्यंत समृद्ध राज्य है, जो खनिज संसाधनों, अपनी प्राकृतिक उर्वरता और जल-विद्युत से समृद्ध है।

राज्य में उपलब्ध जल-विद्युत लगभग 13 मिलियन किलोवाट के बराबर आंकी गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली विकास के लिए केवल 193 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। दूसरी योजना में 380 लाख रुपये आवंटित किये गये। पहली योजना में प्रस्तावित अपेक्षाकृत कम प्रावधान इसलिए था क्योंकि बिजली उपयोग की संभावना अभी भी स्पष्ट नहीं थी। दूसरी योजना अवधि के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में बिजली का उपयोग अन्य जगहों से अलग नहीं था -मांग हमेशा आपूर्ति से अधिक होती है।

बाँध

उमियाम नदी की संकरी घाटी पर 64 मीटर ऊंचा और 176 मीटर लंबा सीमेंट कंक्रीट ग्रेविटी बांध, उमियाम जलग्रहण क्षेत्र के 219 वर्ग किमी के जल-प्रवाह को संग्रहित करेगा। जलाशय का स्तर समुद्र तल से 978 मीटर ऊपर भरा होगा और इसे 960 मीटर से नीचे जाने की अनुमति नहीं होगी। जलाशय में सक्रिय संचयन 115 मिलियन घन मीटर और निष्क्रिय संचयन 39 एमसीएम होगा। बांध स्थल तक नदी बहुत कम गाद बहाती है। यहां तक कि प्रति वर्ष जलग्रहण क्षेत्र के प्रति वर्ग किमी में 350 घन मीटर गाद भार मानने पर भी जलाशय का जीवन काल 400 वर्ष से अधिक बैठता है।

उत्प्लाव मार्ग / स्पिलवे

उत्प्लाव मार्ग डिज़ाइन के लिए अधिकतम बाढ़ निर्वहन 1,840 घन मीटर प्रति सेकंड लिया गया है। उत्प्लाव मार्ग में 12.2 मीटर x 11.1 मीटर के तीन गेट उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके बीच में 3 मीटर मोटे खंभे होंगे। यह विसर्जन/डिस्चार्ज क्षमता अब तक हुई अधिकतम वर्षा पर आधारित है जो छह घंटे में 305 मिमी थी।

बाँध की नींव

शिलांग पठार, जिसमें बांध स्थल स्थित है, संरचनात्मक रूप से हिमालय श्रृंखला से अलग है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के भूविज्ञान से काफी समानता रखता है। चट्टानें कई मायनों में बिहार और बंगाल में देखी गई चट्टानों के समान हैं।

शिलांग पठार को एक परिव्यय भाग माना जा सकता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत का था, संभवतः भारत-गंगा जलोढ़ के नीचे इसके साथ जुड़ा हुआ था। बांध स्थल पर पाई जाने वाली चट्टानें फाइलाइट्स और क्वार्टजाइट हैं। आवश्यक परदा-अभिपूरण के बाद बांध पूरी तरह से इसी चट्टान पर बनाया जाएगा। बांध में विभिन्न तनाव विक्षेपण को मापने के लिए उपयुक्त निरीक्षण और अन्य गैलरी तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। चूंकि साइट अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में है इसलिए विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। दरअसल 1897 का भूकंप जो इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था, उसका केंद्र इसी क्षेत्र में था। यह क्षेत्र बाद के भूकंपों से प्रभावित था - 1930 का धुबरी भूकंप, 1934 का बिहार-बंगाल भूकंप और 1950 का बड़ा असम भूकंप। इसलिए बांध को डिजाइन करते समय भूकंप की तीव्रता के कारण उत्पन्न होने वाली ताकतों पर विचार किया गया है। भूकंप का त्वरण किसी भी दिशा में हो सकता है। डिजाइन में पूर्ण और खाली जलाशय दोनों स्थितियों के लिए सबसे प्रतिकूल दिशा में त्वरण लिया गया है।

बांध में कंक्रीट की मात्रा 1.582 लाख घन मीटर (56 लाख घन फीट) और लागत 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह ठेका ठेकेदारों की एक भारतीय फर्म को दिया गया है, जिसने पहले ही डायवर्जन सुरंग का काम पूरा कर लिया है और वर्तमान में बांध के किनारों और नींव और कॉफ़र बांध के निर्माण पर काम कर रहा है।

बंध

मुख्य बांध के अलावा, दो मिट्टी के बांध - एक 24.4 मीटर (80 फीट) ऊंचा और 427 मीटर (1,401 फीट) लंबा, और दूसरा 12.2 मीटर (40 फीट) ऊंचा और 167.8 मीटर (550.5 फीट) लंबा दो घाटियों में बनाया जाना है। इनकी अनुमानित लागत रु. 26 लाख और ठेकेदारों की एक निजी फर्म द्वारा निर्माणाधीन भी है जिसने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुख्य बांध में उचित नींव पाने के लिए 6.7 मीटर (22 फीट) की गहराई तक मिट्टी हटा दी गई है।

जल संवाहक प्रणाली

चूंकि बिजली घर निकटवर्ती घाटी में स्थित होगा, इसलिए 2,136 मीटर (7,008 फीट) लंबी और 2.69 मीटर (8.82 फीट) व्यास वाली एक घोड़े की नाल जैसी सुरंग को अलग करने वाली पहाड़ी से होकर गुजरना होगा। उमियाम जलाशय में सुरंग के लिए एक इनटेक, एक कचरा रैक और एक गेट भी स्थापित किया जाएगा। लुढ़कते मलबे से पोर्टल को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए, एक जलमग्न मेड़ को खड़ा किया जाएगा। जिस सुरंग की लाइनिंग की जाएगी, उसकी अनुमानित लागत लगभग 60 लाख रुपये है और इसका ठेका एक भारतीय निर्माण फर्म को दिया गया है। सुरंग को इसके मार्ग में चार बिंदुओं से संचालित किया जाएगा - एक दोनों छोर पर, और दो बीच में, एक एडिट के माध्यम से पहुंचा जाएगा। काम में अच्छी प्रगति हुई है और सुरंग का काम पूरा हो चुका है।

सुरंग के अंत में एक ऊर्ध्वाधर टैंक प्रदान किया गया है, जिसमें टर्बाइनों के संचालन के दौरान इसके नीचे पेनस्टॉक के दबाव में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए 15 मीटर (49.2 फीट) व्यास का एक विस्तार कक्ष है। सुरंग की तरह प्रोत्कर्ष / सर्ज शाफ्ट को कंक्रीट से पंक्तिबद्ध किया जाएगा। पेनस्टॉक को बंद करने के लिए आपातकालीन वाल्व सर्ज शाफ्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें से 1.97 मीटर (6.46 फीट) व्यास के दो पेनस्टॉक पावर हाउस तक जाते हैं। प्रत्येक की शुरुआत में 64 मीटर (210 फीट) तक 1.97 मीटर (6.4 फीट) व्यास की एक स्टील-लाइन वाली दबाव सुरंग होगी, जिसके बाद जमीन के स्तर से ऊपर ज्यादातर स्टील पाइप होंगे। पावर हाउस में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक पेनस्टॉक 9,000 किलोवाट टर्बाइनों को चलाने के लिए दो 1.33 मीटर (4.04 फीट) व्यास वाले पाइप में विभाजित हो जाएगा।

निर्माण प्रगति

विभिन्न कार्यस्थलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, 14 किमी (8.7 मील) पहुंच और कॉलोनी सड़कें बनाई गई हैं। उमियाम जलाशय गौहाटी-शिलांग सड़क के लगभग 5.6 किमी (3.48 मील) हिस्से को जलमग्न कर देता है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़ने का काम भी परियोजना प्राधिकरण द्वारा शुरू कर दिया गया है।

अंततः राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य बांध के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन चूंकि बांध को पूरी ऊंचाई तक बनाने से पहले ही जलाशय को भरने का प्रस्ताव है, इसलिए अस्थायी डायवर्जन के लिए मुख्य बांध के ठीक नीचे 2 लाख रुपये की लागत से एक सबवे मार्ग बनाया जाएगा। नई सड़क में दो 10 मीटर (33 फीट) चौड़े रास्ते होंगे जो अधिकांश भाग में उमियाम झील से होकर गुजरेंगे।

कालोनी

वर्तमान में निर्माण कर्मचारियों और बाद में रखरखाव कर्मचारियों के रहने के लिए एक आधुनिक कॉलोनी बनाई गई है वहां दो कॉलोनियां होंगी- एक बांध स्थल के पास, एक छोटी बिजली घर स्थल पर। आवासीय एवं गैर आवासीय भवन निर्माणाधीन हैं कालोनियों में आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था तथा रोशनी के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

स्कूल, खेल का मैदान, सिनेमा, पार्क, अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेंज, पेट्रोल स्टेशन, डाकघर और शॉपिंग सेंटर जैसी सभी आधुनिक सुख-सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

निर्माण कार्य के लिए बिजली

निर्माण स्थल पर काम शुरू करने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि डीजल इंजनों के ऑर्डर बहुत पहले दिए गए थे, लेकिन वे समय पर नहीं पहुँचे। असम के अन्य बिजली घरों में उपलब्ध कुछ इंजनों को तोड़कर एक अस्थायी बिजली घर में खड़ा किया गया और 1960 की शुरुआत से विभिन्न कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति की गई।

निर्माण के लिए बिजली की कुल आवश्यकता 2,000 किलोवाट से अधिक होने का अनुमान है। इसलिए इस स्टेशन की अंतिम स्थापित क्षमता 3,200 किलोवाट होगी।

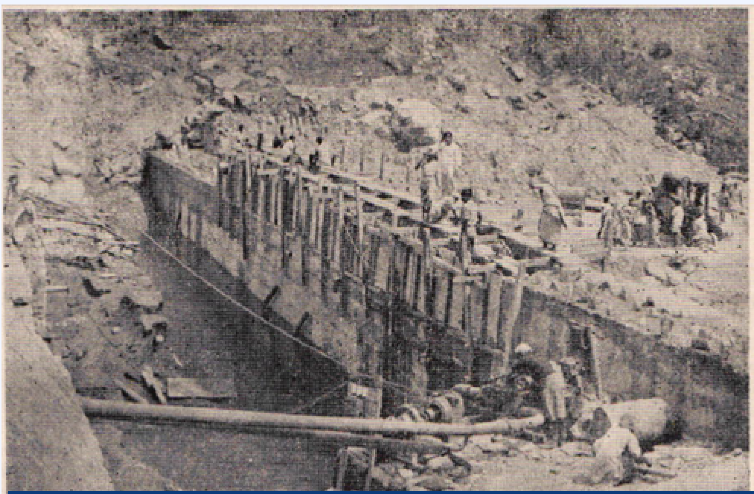

उमियम बांध स्थल पर कॉफ़र बांध का निर्माण कार्य ।

पूरी कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति करने के लिए ट्रांसफार्मर केंद्रों के साथ 11 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की 10 किमी (6.2 मील) की स्थापना की गई है।

परियोजना बिजलीघर

उमियाम परियोजना का मुख्य पावर हाउस 42 मीटर x 22 मीटर (138 फीट x 72 फीट), प्रत्येक 9,000 किलोवाट के चार टर्बो अल्टरनेटर को समायोजित करने के लिए एक प्रबलित कंक्रीट संरचना होगी। इन मशीनों में 145 मीटर (476 फीट) के निवल दाबोच्चता पर 10,500 किलोवाट की रेटेड क्षमता वाली ऊर्ध्वाधर फ्रांसिस टर्बाइन शामिल होंगी। जंग और घिसाव को कम करने के लिए टरबाइन-रनर और गाइड वेन स्टेनलेस स्टील के हैं। टर्बाइनों को उनके शीर्ष पर 10,600 केवीए के ऊर्ध्वाधर जनरेटर से जोड़ा जाता है। चार टर्बो-अल्टरनेटर की लागत लगभग 35 लाख रुपये आती है। बिजली घर को आवश्यक नियंत्रण गियर और कम-वोल्टेज स्विचगियर, नियंत्रण बैटरी तथा इसी तरह के सहायक उपकरणों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज उत्पादन को 11 केवी से 132 केवी तक बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर बिजली घर के नजदीक स्थित होंगे।

बाहरी संरचना

बाहरी स्विचिंग संरचना बिजलीघर से लगभग 150 मीटर (492 फीट) की दूरी पर स्थित होगी। ट्रांसफार्मरों को स्विचयार्ड से जोड़ा जाएगा।

शिलांग और गौहाटी जैसे लोड वाले क्षेत्रों में बिजली ले जाने के लिए 132 केवी पर तीन ट्रांसमिशन लाइनें शुरू की जाएंगी।

मुख्य लाइनें

उमियाम-गौहाटी लाइनें, लगभग 80 किमी (50 मील) लंबी एक डबल सर्किट 132 केवी लाइन, गौहाटी रिसीविंग स्टेशन पर समाप्त होगी जहां प्रत्येक 10,000 केवीए के दो ट्रांसफार्मर प्रदान किए गए हैं। उमियाम-शिलांग लाइन लगभग 16 किमी (10 मील) लंबी एक एकल सर्किट 132 केवी लाइन होगी जो 10,000 केवीए के दो ट्रांसफार्मर में चलेगी। दोनों सबस्टेशनों पर ट्रांसफार्मर स्थानीय खपत के लिए वोल्टेज को 132 से घटाकर 33 और 11 केवी कर देंगे। इन उच्च वोल्टेज लाइनों पर देर से रिले करने के प्रावधान के साथ एक वाहक संचार प्रणाली लगाई जाएगी। इससे ट्रांसमिशन लाइनों के साथ एक अलग टेलीफोन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इन लाइनों को गर्म चूने के काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। मौजूदा उमट्रू स्टेशन को 7,500 केवीए के दो ट्रांसफार्मर के माध्यम से उमियाम-गौहाटी लाइन पर उमियाम से जोड़ा जाएगा। विभागीय तौर पर ट्रांसमिशन लाइनें खड़ी करने की उम्मीद है।

कम खर्चे पर अधिक

उमियाम परियोजना के पूरा होने के बाद भी, असम प्रति व्यक्ति विद्युत ऊर्जा की खपत में सबसे कम होगा। 978 मीटर (3,210 फीट) की ऊंचाई पर उमियाम में एक भंडारण जलाशय का निर्माण, बहुत कम अतिरिक्त लागत पर, 123 मीटर (404 फीट) के स्तर तक , मौजूदा उमट्रू बांध के स्तर तक योजना के पुच्छजल का उपयोग करके चरणबद्ध विकास प्रदान करता है। वास्तव में, क्रमिक विसर्जनी(टेल-रेस) विकास योजनाओं में कोई अतिरिक्त भंडारण शामिल नहीं होता है, जिससे अपेक्षाकृत कम सिविल इंजीनियरिंग व्यय की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना में असम राज्य बिजली बोर्ड ने लगभग 66,000 किलोवाट की कुल स्थापित क्षमता वाले दो पुच्छजल (टेल-वॉटर)स्टेशन विकसित करने और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के लगभग 650 किमी (404 मील) तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है, इस प्रकार उमियाम योजना से निचले असम के सभी स्थानों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।

(स्रोत: भागीरथ खंड-VIII, अप्रेल 1962

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनिलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

No. CWC/2024/117 | cwc.gov.in | /CWCOfficial.GoI | /CWCOfficial.GoI | /CWCOfficial_GoI | c/CWCOfficialGoI